

न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण क्रमांक 68 / वी-121 / 2015-16

: आदेश :

( आज दिनांक 23 / 06 / 2016 को पारित किया गया )

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 11.04.2016 को ग्राम नानपुर (खण्डवा-बडौदा राजमार्ग पर ) तहसील अलीराजपुर में सड़क दुर्घटना (आयसर एवं मोटर साईकिल के आमने-सामने) में निम्नानुसार मृतकों/घायलों को आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

क्र.	मृतक/ घायल व्यक्ति का नाम	वारिशान का नाम व पता	स्वीकृत आर्थिक सहायता
1	रमेश पिता भूचर जाति भीलाला निवासी ग्राम ईदवन (मृतक)	श्रीमति गिरबाई पति स्व.रमेश जाति भीलाला निवासी ग्राम ईदवन (गम्भीर घायल)	15000/-
2	श्रीमति गिरबाई पति स्व.रमेश जाति भीलाला निवासी ग्राम ईदवन (गम्भीर घायल)	श्रीमति गिरबाई पति स्व.रमेश जाति भीलाला निवासी ग्राम ईदवन	7500/-
	योग	बाईस हजार पाँच सौ रू0 मात्र	22500/-

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर घायलों को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनांक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि कुल रूपये 22500/- (बाईस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या -01-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय- (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीडित व्यक्तियों को तत्काल वितरित की जावें।

Sd/-  
(शेखर वर्मा)  
कलेक्टर

जिला अलीराजपुर

पृ0क/ 431/रीडर/2016  
प्रतिलिपि:-

अलीराजपुर दिनांक.....23/6/2016

1. जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2. प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
3. प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।
5. तहसीलदार तहसील अलीराजपुर ।
6. सहायक जन संपर्क अधिकारी जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
7. जिला विज्ञान एवं सूचना केन्द्र (एनआईसी ) जिला अलीराजपुर की ओर अपलोड करने हेतु ।
- 6 संबंधित श्री/श्रीमति.....तहसील एवं जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर  
जिला अलीराजपुर